ए.

पुनीत डालमिया

वी.

केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो, हैदराबाद (2019 की आपराधिक अपील संख्या 1901)

बी.

16 दिसंबर, 2019

[अशोक भूषण और एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.205-अपीलार्थी अभियुक्त नं.3 सी. बी. आई. मामलों के लिए प्रधान विशेष न्यायाधीश, हैदराबाद के समक्ष लंबित 2013 के सी. सी. संख्या 12 वाले आरोप-पत्र से संबंधित मामले में-जमानत दी गई-हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अपीलार्थी को हर शुक्रवार को निचली अदालत में उपस्थित होना आवश्यक है-अपीलार्थी ने निचली अदालत के समक्ष आवेदन किया।205 अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति/उपस्थिति को समाप्त करने के लिए-खारिज-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःअपीलार्थी, जो दिल्ली का स्थायी निवासी है, कई कंपनियों के बोर्डों में निदेशक है और 2013 से प्रत्येक शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश हो रहा है-दिल्ली और हैदराबाद के बीच की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है-ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है कि किसी भी समय उसने मुकदमे में देरी करने की कोशिश की है-जैसा कि भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा छूट देने के सिद्धांतों को देखते हुए, अपीलार्थी को कुछ शर्तों पर छूट दी जा सकती है और एक वचन पत्र दायर करने पर, जिसके द्वारा न्याय के हित की रक्षा की जा सकती है और छूट देने से अंततः मुकदमे के समापन पर जल्द से जल्द प्रभाव नहीं पड़ सकता है-इसके अलावा, उसी प्राथमिकी से उत्पन्न होने वाले मामलों में अन्य दो सह-अभियुक्तों के मामले में, उसी आधार पर छूट के लिए आवेदन।205 खारिज कर दिए जाते हैं और अलग कर दिए जाते हैं-इस प्रकार, स्थगन की सभी तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति को समाप्त करने और अपनी ओर से अपने अधिवक्ता को उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए अपीलार्थी का आवेदन सशर्त रूप से अनुमत है-दंड संहिता, 1860 -s.120-B r/w ss.420, 409 – भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-एस.9, 12, 13(2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (सी) और (डी)।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

134 ए.

135

पुणे डालमिया बनाम केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो, हैदराबाद ए

अपील का निपटारा करते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** अपीलार्थी को प्रत्येक शुक्रवार को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है और अपीलार्थी **2013** से प्रत्येक शुक्रवार को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहा है।अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी समय अपीलार्थी ने मुकदमे में देरी करने का प्रयास किया हो।अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व उसके अधिवक्ता के माध्यम से किया जाता है।अपीलार्थी दिल्ली का स्थायी निवासी है।वह कई कंपनियों के बोर्ड में निदेशक हैं।दिल्ली और हैदराबाद के बीच की दूरी लगभग **1500** किलोमीटर है।तथापि**,** भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखे गए छूट देने के सिद्धांतों को मामले के तथ्यों पर भी लागू किया जा सकता है और अपीलार्थी को कुछ शर्तों पर और अपीलार्थी द्वारा एक वचन पत्र दाखिल करने पर छूट दी जा सकती है**,** जिसके द्वारा न्याय के हित की रक्षा की जा सकती है और छूट देने से अंततः मुकदमे के समापन पर जल्द से जल्द प्रभाव नहीं पड़ सकता है।अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा किसी भी समय मुकदमे को रोकने/विलंबित करने का कोई प्रयास किया गया हो।एक ही याचिका से उत्पन्न मामलों में अन्य दो सह**-**अभियुक्तों के मामले में**,** छूट के लिए आवेदनों को उसी आधार पर अनुमति दी गई है**-**एक उच्च न्यायालय द्वारा और दूसरा निचली अदालत द्वारा। **[**पैरा **6] [140-**डी**-**ई**; 142** एफ**-**एच**; 143-**ए**]** **1.2** उच्च न्यायालय के साथ**-**साथ विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश ने धारा **205 Cr.P.C** के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया। एतद्वारा खारिज कर दिए जाते हैं और अलग कर दिए जाते हैं और परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा स्थगन की सभी तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति को समाप्त करने और अपनी ओर से अपने अधिवक्ता को उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए प्रस्तुत आवेदन को निम्नलिखित शर्तों पर अनुमति दी जाती हैः**(1)** कि अपीलार्थी विचारण न्यायालय को वचन देगा कि वह

मामले में अपनी पहचान पर विवाद नहीं करेगा और जिस अधिवक्ता को अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति है**,** वह सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर उसकी ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और वह अपनी अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज करने पर आपत्ति नहीं करेगा और अपीलार्थी और/या उसके अधिवक्ता की ओर से कोई स्थगन नहीं माँगा जाएगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

(2) कि अपीलार्थी आरोप तय करने के उद्देश्य से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और सुनवाई की अन्य तिथियों पर भी जब भी विचारण न्यायालय उसकी उपस्थिति के लिए जोर देगा**; (3)** यदि अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता की ओर से कोई विफलता है**,** या तो प्रत्येक स्थगन पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में और/या अपीलार्थी की ओर से कोई स्थगन मांगा जाता है और/या यदि विचारण न्यायालय की राय है कि अपीलार्थी और/या उसका अधिवक्ता मुकदमे में देरी करने का प्रयास कर रहा है**,** तो उस मामले में**,** विचारण न्यायालय के लिए धारा **205 (2)** के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और स्थगन की प्रत्येक तिथि पर अपीलार्थी की उपस्थिति का निर्देश देने के लिए खुला होगा।**[**पैरा **7] [143-**बी**-**जी**]**

बी.

सी.

भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वी. भिवानी डेनिम और परिधान

लिमिटेड (2001) 7 एससीसी 401:[2001] 2 पूरक।एस. सी. आर. 219-निर्भर।

डी.

रामेश्वर यादव बनाम बिहार राज्य **(2018) 4** एस**.** सी**.** सी**. 608**

:[2018] 4 एस**.** सी**.** आर**. 1055-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2001] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 219** पर निर्भर

पैरा **4.3 [2018] 4** एस**.** सी**.** आर**. 1055** पैरा **4.3** में निर्दिष्ट है।

ई.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2019 की आपराधिक अपील संख्या 1901।

एफ.

सी. आर. एल. में तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय के दिनांक 10.09.2018 के निर्णय और आदेश से। 2016 का पी. सं. 3880।

अजय भार्गव, श्रीमती वनिता भार्गव, सुश्री त्रिशला त्रिवेदी, करण गुप्ता, मेसर्स खेतान एंड कंपनी, एड.अपीलार्थी के लिए।

जी.

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., आर. बाला, वरिष्ठ अधिवक्ता, जॉयदीप रॉय, सचिन शर्मा, सुश्री श्रुति अग्रवाल, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

एच.

137

पुणे डालमिया बनाम केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो, हैदराबाद ए

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह जे**.**

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा 2016 की आपराधिक याचिका संख्या 3880 में हैदराबाद में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया है और 2013 के सी. सी. संख्या 12 वाले आरोप पत्र से संबंधित मामले में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति/उपस्थिति के साथ छूट के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को खारिज कर दिया है, उपरोक्त मामले के मूल अभियुक्तों में से एक ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।3. कि अपीलार्थी 2013 के सी. सी. सं. 12 वाले आरोप-पत्र से संबंधित मामले में अभियुक्त सं. 3 है जो सी. बी. आई. मामलों के लिए विद्वान प्रधान विशेष न्यायाधीश, हैदराबाद के समक्ष लंबित है।कि अपीलार्थी को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड

संहिता सी. की धारा 120-बी के साथ धारा 420,409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 9,12,13 (2) के साथ धारा 13 (1) (सी) और (एस) 12 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से तलब किया गया था। कि, 07.06.2019 दिनांकित एक आदेश द्वारा अपीलार्थी को जमानत दे दी गई है।हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अपीलार्थी को हर शुक्रवार को विद्वत विचारण न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है।यह अपीलार्थी-मूल अभियुक्त संख्या 3 की ओर से मामला है कि 2013 से अपीलार्थी प्रत्येक शुक्रवार को विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहता है।3.1 कि अपीलार्थी ने अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति/उपस्थिति के लिए Cr.P.C की धारा 205 के तहत विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया।अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि वह कई कंपनियों के बोर्डों में निदेशक है और कंपनियों की व्यावसायिक आवश्यकताओं के कारण प्रबंधन और दिन-प्रतिदिन के मामलों में भाग लेने में व्यस्त है।अपीलार्थी की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्येक शुक्रवार को विद्वत विचारण न्यायालय में उपस्थित होने के लिए उसे कम से कम दो दिन दिल्ली से हैदराबाद की यात्रा करनी होती है।इसलिए, अपीलार्थी की ओर से यह मामला था कि हर शुक्रवार को मामला दर्ज करने के कारण, उसे लगातार वित्तीय नुकसान होने के अलावा, अपनी व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अनुचित कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।इसलिए, उनके अधिवक्ता श्री भारद्वाज रेड्डी को उनकी ओर से पेश होने की अनुमति देते हुए उनकी उपस्थिति को समाप्त करने का अनुरोध किया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

3.2 उक्त आवेदन का प्रतिवादी-सी. बी. आई. द्वारा विरोध किया गया था। सी. बी. आई. की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि जिन आधारों पर अपीलार्थी ने विद्वत विचारण न्यायालय के

समक्ष अपनी उपस्थिति को समाप्त करने का अनुरोध किया है, वे स्पष्ट नहीं हैं और धारा 205 Cr.P.C के तहत विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति को समाप्त करने का आधार नहीं हो सकते हैं। सी. बी. आई. की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी बहुत गंभीर आरोपों/अपराधों का सामना कर रहा है।हैदराबाद के सी. बी. आई. मामलों के प्रधान विशेष न्यायाधीश ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया।विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया है और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज करते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है और विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से इनकार कर दिया है।इसलिए, वर्तमान अपील।4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं, श्री मुकुल रोहतगी और श्री नीरज किशन कौल ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वान निचली अदालत ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को हर शुक्रवार को विद्वान निचली अदालत के समक्ष पेश होने से छूट देने की अनुमति नहीं देने में गंभीर त्रुटि की है।

बी.

सी.

डी.

4.1 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि 2013 से, प्रत्येक शुक्रवार को, अपीलार्थी विद्वान विचारण न्यायालय में उपस्थित हो रहा है और आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुकदमा जल्द से जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है क्योंकि एक ही प्राथमिकी से उत्पन्न होने वाले इस मामले में 13 आरोप पत्र दायर किए गए हैं और कई आरोपी हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी एक वचन दायर करने के लिए तैयार और इच्छुक है कि विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की गैर-उपस्थिति, छूट दिए जाने पर, मुकदमे के साथ आगे बढ़ने के रास्ते में नहीं आएगी और वह अधिवक्ता के माध्यम से पेश होगा और यदि उसकी अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा और जब भी आवश्यकता होगी और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाएगा। अपीलार्थी की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वह किसी भी अन्य शर्तों का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक है जो इस न्यायालय द्वारा लगाई जा सकती हैं और जो उचित और उचित मान सकती हैं।

ई.

एफ.

जी.

4.2 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में विद्वान विचारण न्यायालय के पास पहले से ही ए है

एच.

139

पुनीत डालमिया बनाम केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो, हैदराबाद [एम. आर. शाह, जे.] ए.

एक ही एफ. आई. आर. से उत्पन्न होने वाले मामलों में और उनकी व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर दो अभियुक्त व्यक्तियों को व्यक्तिगत उपस्थिति से स्थायी छूट दी गई, हालांकि वास्तव में वे दोनों केवल हैदराबाद में स्थित हैं।

4.3 अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने भी भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है।

बी.

वी**.** भिवानी डेनिम एंड अपेरल्स लिमिटेड **(2001) 7** एससीसी **401** और रामेश्वर

यादव बनाम बिहार राज्य (2018) 4 एस. सी. सी. 608 प्रत्येक शुक्रवार को विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की उपस्थिति को समाप्त करने की प्रार्थना के समर्थन में।

4.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ छूट के लिए अनुमति दी जाए।5. प्रतिवादी-सी. बी. आई. की ओर से पेश हुए विद्वान ए. एस. जी. श्री विक्रमजीत बनर्जी ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है। 5. 1 प्रत्यर्थी-सी. बी. आई. की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. श्री बनर्जी द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि, जैसा कि विद्वान विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है, जिन आधारों पर अपीलार्थी ने अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त करने का अनुरोध किया है, अर्थात्, व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं और अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में पूर्व-व्यस्तता और अपीलार्थी को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में होने वाली असुविधा के कारण, धारा 205 Cr.P.C के तहत आवेदन को अनुमति देने के लिए वैध आधार नहीं हैं।

सी.

डी.

ई.

5.2 श्री बनर्जी, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि यदि अपीलार्थी को विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है, तो उस मामले में, ऐसी छूट दिए जाने के बाद, वह मुकदमे की आगे की कार्यवाही में सहयोग नहीं कर सकता है और मुकदमे में देरी होगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त और अन्य राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों में शामिल हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, मुकदमे को जल्द से जल्द समाप्त करने की आवश्यकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से अपीलार्थी के साथ-साथ अन्य अभियुक्तों के आचरण का अवलोकन किया है और उस पर विचार किया है जिससे मुकदमे को समाप्त करने में देरी हुई है।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी को विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से छूट देने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।

एफ.

जी.

एच.

5.3 अब, जहाँ तक इस न्यायालय के निर्णयों पर अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखी गई निर्भरता का संबंध है।

भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर) और रामेश्वर यादव (ऊपर) हैं।

संबंधित, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय शामिल अपराधों की गंभीरता और गंभीरता को देखते हुए मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर) में, यह परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का मामला था और रामेश्वर यादव (ऊपर) में, यह आईपीसी की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराधों का मामला था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के खिलाफ आरोप भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 420 और 409 के साथ पठित धारा 120-बी

और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (सी) और (डी) के साथ पठित धारा 9,12,13 (2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए हैं। इसलिए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।6. संबंधित पक्षों की ओर से लंबे समय तक उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।प्रारम्भ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपीलार्थी को प्रत्येक शुक्रवार को विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है और इस प्रकार अपीलार्थी 2013 से प्रत्येक शुक्रवार को विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहा है।अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी समय अपीलार्थी ने मुकदमे में देरी करने का प्रयास किया हो।अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व उसके अधिवक्ता के माध्यम से किया जाता है।अपीलार्थी दिल्ली का स्थायी निवासी है।वह कई कंपनियों के बोर्ड में निदेशक हैं। दिल्ली और हैदराबाद के बीच की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है।इसलिए, अपीलार्थी ने प्रत्येक शुक्रवार को विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी और धारा 205 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया और प्रस्तुत किया कि स्थगन की सभी तिथियों पर, उनके अधिवक्ता श्री भारद्वाज रेड्डी उपस्थित होंगे और उनकी ओर से कोई स्थगन नहीं माँगा जाएगा।भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर) और रामेश्वर यादव (ऊपर) के मामलों में, इस न्यायालय को धारा 205 के तहत आवेदन के दायरे और दायरे पर विचार करने का अवसर मिला था। भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने कहा है कि यदि कोई न्यायालय संतुष्ट है कि न्याय के हित में किसी अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है, तो अदालत को अभियुक्त की उपस्थिति को समाप्त करने की शक्ति है।इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में यह भी कहा गया है कि यदि किसी न्यायालय को लगता है कि किसी विशिष्ट मामले में किसी अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर देना विभिन्न कारणों से बहुत कठोर होगा, तो न्यायालय ऐसे अभियुक्त को अभियोजन कार्यवाही का सामना करने के मामले में राहत दे सकता है।इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि सामान्य नियम यह है कि साक्ष्य ए की उपस्थिति में लिया जाएगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

अभियुक्त।हालाँकि, अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी, इस तरह के साक्ष्य लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर उसके अधिवक्ता को अदालत में उपस्थित होना चाहिए, बशर्ते उसे अदालत में उपस्थित होने से छूट दी गई हो।पैराग्राफ 14,17,18 और 19 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः

“14. सामान्य नियम यह है कि साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा।हालाँकि, अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी ऐसा साक्ष्य लिया जा सकता है, लेकिन फिर उसके अधिवक्ता को अदालत में उपस्थित होना चाहिए, बशर्ते उसे अदालत में उपस्थित होने से छूट दी गई हो।आपराधिक न्यायालय की चिंता मुख्य रूप से आपराधिक न्याय का प्रशासन होना चाहिए। उस उद्देश्य के लिए मामले में अदालत की कार्यवाही में प्रगति दर्ज की जानी चाहिए।अदालत में अभियुक्त की उपस्थिति केवल उसे अदालत में देखने के लिए उसकी उपस्थिति को चिह्नित करने के लिए नहीं है।यह अदालत को मुकदमे के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए है। यदि अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी मुकदमे की प्रगति हासिल की जा सकती है, तो अदालत निश्चित रूप से उन पीड़ाओं के परिमाण को ध्यान में रख सकती है जो किसी विशेष अभियुक्त व्यक्ति को उस विशेष मामले में अदालत में उपस्थित होने के लिए सहन करनी पड़ सकती हैं।

बी.

सी.

डी.

17. इस प्रकार, उपयुक्त मामलों में मजिस्ट्रेट एक अभियुक्त को एक अधिवक्ता के माध्यम से पहली बार पेश होने की भी अनुमति दे सकता है।मजिस्ट्रेट को अभियुक्त की याचिका दर्ज करने का अधिकार है, तब भी जब उसके अधिवक्ता किसी ऐसे मामले में अभियुक्त की ओर से ऐसी याचिका दायर करते हैं जहां अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति समाप्त हो जाती है। संहिता की धारा 317 को उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए क्योंकि यह अदालत को मामले में आगे के कदमों के साथ आगे बढ़ने के लिए भी आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति (बशर्ते कि उस मामले में उसका प्रतिनिधित्व एक अधिवक्ता द्वारा किया जाए) को समाप्त करने का अधिकार देता है।तथापि, एक सावधानी जो न्यायालय को ऐसी स्थिति में बरतनी चाहिए, वह यह है कि उक्त लाभ केवल उस अभियुक्त को दिया जाना चाहिए जो न्यायालय की संतुष्टि के लिए वचन देता है कि वह मामले में विशेष अभियुक्त के रूप में अपनी पहचान पर विवाद नहीं करेगा, और यह कि उसकी ओर से एक अधिवक्ता अदालत में उपस्थित होगा और उसकी अनुपस्थिति में उसे साक्ष्य लेने में कोई आपत्ति नहीं है।गवाहों की जाँच सहित कार्यवाही की आगे की प्रगति के लिए यह सावधानी आवश्यक है।18. वैध रूप से एक प्रश्न पूछा जा सकता है-क्या हो सकता है यदि अभियुक्त द्वारा नियुक्त अधिवक्ता (जिसकी व्यक्तिगत उपस्थिति समाप्त कर दी गई है) उपस्थित नहीं होता है या अधिवक्ता उपस्थित नहीं होता है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

मामले में आगे बढ़ने में सहयोग नहीं करता है?हम यह इंगित कर सकते हैं कि विधायिका ने ऐसी संभावनाओं का ध्यान रखा है।धारा 205 (2) में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट अपने विवेक से कार्यवाही के किसी भी चरण में अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दे सकता है। धारा 317 (1) का अंतिम अंग मजिस्ट्रेट को कार्यवाही के किसी भी बाद के चरण में अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने का विवेकाधिकार प्रदान करता है।वह इस तरह की उपस्थिति को लागू करने के लिए अन्य कदम भी उठा सकता है।

बी.

19. इसलिए स्थिति इस पर निर्भर करती है:यह मजिस्ट्रेट की शक्तियों के भीतर और उसके न्यायिक विवेकाधिकार में है कि वह किसी समन मामले में ऐसी कार्यवाही के दौरान या किसी विशेष चरण में किसी आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त कर दे, यदि मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति के आग्रह से ही उसे भारी पीड़ा या क्लेश होगा, और तुलनात्मक लाभ कम होगा।इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग केवल उन दुर्लभ उदाहरणों में किया जाना चाहिए जहां अभियुक्त दूर रहने या व्यवसाय करने के कारण या किसी भौतिक या अन्य अच्छे कारणों से मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति को छोड़ना केवल न्याय के हित में होगा।हालाँकि, मजिस्ट्रेट जो अभियुक्त को ऐसा लाभ देता है, उसे निश्चित रूप से ऊपर उल्लिखित सावधानियाँ बरतनी चाहिए।हम दोहरा सकते हैं कि जब कोई अभियुक्त मजिस्ट्रेट के साथ अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति के लाभ के लिए अनुरोध करते हुए अपने विधिवत अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से मजिस्ट्रेट को आवेदन करता है तो वह आगे बढ़ने से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर सकता है और उस पर उचित आदेश पारित कर सकता है।"

सी.

डी.

ई.

यह सच है कि इस न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दो मामलों में, कथित अपराध वर्तमान मामले में कथित अपराधों की तुलना में कम गंभीर अपराध थे।तथापि, छूट प्रदान करने के लिए सिद्धांत जैसा कि द्वारा देखा गया है

एफ.

भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर) के मामले में यह न्यायालय बनाया जा सकता है।

मामला के तथ्यों पर भी लागू होता है और अपीलार्थी को कुछ शर्तों पर और अपीलार्थी द्वारा एक वचन पत्र दायर करने पर छूट दी जा सकती है, जिसके द्वारा न्याय के हित की रक्षा की जा सकती है और छूट का अनुदान अंततः मुकदमे के समापन को जल्द से जल्द प्रभावित नहीं कर सकता है।इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी समय अपीलार्थी द्वारा मुकदमे को रोकने/विलंबित करने का कोई प्रयास किया गया हो।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि एक ही प्राथमिकी से उत्पन्न होने वाले मामलों में अन्य दो सह-अभियुक्तों के मामले में, आवेदन ए

जी.

एच.

143

पुनीत डालमिया बनाम केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो, हैदराबाद [एम. आर. शाह, जे.]

छूट के लिए उन्हीं आधारों पर अनुमति दी गई है-एक उच्च न्यायालय द्वारा और दूसरा विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा।

7. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है।धारा 205 Cr.P.C के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष स्थगन की सभी तिथियों पर अपनी उपस्थिति को समाप्त करने और अपने अधिवक्ता श्री भारद्वाज रेड्डी को उनकी ओर से उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए प्रस्तुत आवेदन को निम्नलिखित शर्तों पर अनुमति दी जाती हैः(1) कि अपीलार्थी विद्वत विचारण न्यायालय को वचन देगा कि वह मामले में अपनी पहचान पर विवाद नहीं करेगा और श्री भारद्वाज रेड्डी-अधिवक्ता जिसे अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति है, सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर उसकी ओर से विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और वह अपनी अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज करने पर

आपत्ति नहीं करेगा और अपीलार्थी और/या उसके अधिवक्ता श्री भारद्वाज रेड्डी की ओर से कोई स्थगन नहीं माँगा जाएगा।

बी.

सी.

डी.

(2) कि अपीलार्थी आरोप तय करने के उद्देश्य से विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और सुनवाई की अन्य तिथियों पर भी जब भी विद्वत परीक्षण कर्ट अपनी उपस्थिति के लिए जोर देगा;

ई.

(3) यदि अधिवक्ता श्री भारद्वाज रेड्डी, जो अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, या तो प्रत्येक स्थगन पर विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं और/या अपीलार्थी की ओर से कोई स्थगन मांगा जाता है और/या यदि विद्वत विचारण न्यायालय की राय है कि अपीलार्थी और/या उसका अधिवक्ता मुकदमे में देरी करने का प्रयास कर रहा है, तो उस मामले में, विद्वत विचारण न्यायालय के लिए धारा 205 (2) Cr.P.C के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और स्थगन की प्रत्येक तिथि पर अपीलार्थी की उपस्थिति का निर्देश देने के लिए खुला रहेगा।

एफ.

जी.

वर्तमान अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

दिव्या पांडे

अपील का निपटारा किया गया।

एच.